दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित : 16 जनवरी, 2014
उद्घोषित : 19 फरवरी, 2014

आप.अ. 716/2010

सलाम कविराज उर्फ चुहा ..... अपीलार्थी

द्वारा : श्री अजय वर्मा, अधिवक्ता के साथ श्री शिव कुमार द्विवेदी अधिवक्ता

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे.दिल्ली) .....प्रत्यर्थी

द्वारा : सुश्री राजदीपा बेहुरा, राज्य की ओर से अति.लो.अभि. उप.नि. कपिल कुमार, थाना जी.टी.बी. एन्क्लेव

आप.अ. 721/2010

आसिफ उर्फ नईम .....अपीलार्थी

द्वारा : सुश्री राखी दुबे, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे.दिल्ली) ..... प्रत्यर्थी

द्वारा : सुश्री राजदीपा बेहुरा, राज्य की ओर से अति.लो.अभि. उप.नि. कपिल कुमार, थाना जी.टी.बी. एन्क्लेव

आप.अ. 728/2010

मो. इलियास ..... अपीलार्थी

द्वारा : श्री अजय वर्मा, के साथ श्री शिव कुमार द्विवेदी अधिवक्ता

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) ....प्रत्यर्थी

द्वारा : सुश्री राजदीपा बेहुरा, राज्य की ओर से अति.लो.अभि. उप.नि. कपिल कुमार, थाना जी.टी.बी. एन्क्लेव

आप.अ. 981/201

मिराज उर्फ जाकिर ..... अपीलार्थी

द्वारा : सुश्री साहिला लांबा, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) ....प्रत्यर्थी

द्वारा : सुश्री राजदीपा बेहुरा, राज्य की ओर से अति.लो.अभि. उप.नि. कपिल कुमार, थाना जी.टी.बी. एन्क्लेव

आप.अ. 1056/2010 एवं आप.वि.अ. 11127/2013

शाहिन उर्फ बुशले ..... अपीलार्थी

द्वारा : श्री दीपक वोहरा, अधिवक्ता

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे.दिल्ली) ....प्रत्यर्थी

द्वारा : सुश्री राजदीपा बेहुरा, राज्य की ओर से अति.लो.अभि. उप.नि. कपिल कुमार, थाना जी.टी.बी. एन्क्लेव

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना

माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.पी. मित्तल

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. जी.पी. मित्तल,</u>

1. अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर, आसिफ उर्फ नईम, सलाम कविराज उर्फ चूहा, मोहम्मद इलियास एवं शाहीन उर्फ बुशले ने दिनांक 25 जनवरी 2010 के निर्णय एवं दिनांक 29 जनवरी 2010 के सजा के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उन सभी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (भा.दं.सं.) की धारा 396 के तहत दंडनीय अपराध हेतु दोषी ठहराया गया था तथा आजीवन कारावास एवं 5,000/- रुपये प्रत्येक के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जुर्माना अदा न करने पर, सभी को पांच महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया था। सभी अपीलार्थीगण को भा.दं.सं. की धारा 449 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया तथा सात साल के कठोर कारावास एवं 2,000/- रुपये प्रत्येक के जुर्माने की सजा सुनाई गई जुर्माना अदा न करने पर उन्हें दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना था। अपीलार्थी शाहीन उर्फ बुशले, आसिफ उर्फ नईम एवं मोहम्मद इलियास को भी भा.दं.सं. की धारा 412 के तहत दोषी ठहराया गया एवं उन्हें सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास तथा 2,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई, जिसे अदा न करने पर उन्हें दो महीने का

अतिरिक्त कारावास भुगतना था। अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर, आसिफ उर्फ नईम एवं शाहीन उर्फ बुशले को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत तीन साल की अवधि के लिए कठोर कारावास एवं 1,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई, जिसे अदा न करने पर उन्हें एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।

2. पहला तथ्य। दिनांक 05-06/08.2004 की मध्य रात्री को, सुरेन्द्र नाथ कुराल (मृतक) अपने परिवार के सदस्यों के साथ बी-73, मानसरोवर पार्क, दिल्ली स्थित अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। लगभग 2:30 बजे, रीता कुराल (अभि.सा.-9) की नींद तब टूटी जब उसने देखा कि 18-20 वर्ष की आयु के पांच युवक उस कमरे में घुस आए हैं जहां वह सो रही थी। उसके पिता सुरेन्द्र नाथ कुराल एक अलग खाट पर सो रहे थे, जबकि उसकी मां एक अन्य खाट पर सो रही थी। उसने देखा कि अपीलार्थी सलाम कविराज उर्फ चूहा (जिसका नाम अभि.सा.-9 बाद में पता चला) उसके पिता की खाट के पास खड़ा था जबकि अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर तथा आसिफ उर्फ नईम उसकी मां के बिस्तर के पास खड़े थे। अपीलार्थी शाहीन उर्फ बुशले कमरे के दरवाजे पर खड़ा था अकरम (किशोर तथा अब रिहा) नामक एक व्यक्ति ने उसे (अभि.सा.-9) जगाया और साथ ही उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे धमकाया कि वह शोर न मचायें। नाबालिग ने उसके गले से सोने की चेन तोड़ ली और

फिर उसकी अंगूठी और चूड़ियाँ उतारने लगा। सुरेन्द्र नाथ कुराल ने विरोध किया और अपीलार्थीगण एवं उनके सह-अभियुक्तों से जानना चाहा कि वे क्या चाहते हैं। एक अपीलार्थी ने दूसरे को मृतक सुरेन्द्र नाथ कुराल को बांधने के लिए कहा। हालांकि, मृतक खाट से उठ गया। अपीलार्थी सलाम कविराज ने मृतक पर खंजर से तीन-चार बार वार किया, जो वह अपने हाथ में पकड़े हुए था। अभि.सा.-9 अपने पिता को बचाने के लिए उनसे लिपट गई। हालांकि, मृतक खाट पर गिर चुका था। अकरम ने फिर से जबरदस्ती उसका मुंह बंद कर दिया। हालांकि, वह चीखने में कामयाब रही और शोर मचाया और अपने भाई के बेडरूम का दरवाजा भी खटखटाया। उसका भाई वीरेंद्र नाथ कुराल (अभि.सा.-19) जाग गया और वहां पहुंच गया। उसकी भाभी उषा कुराल भी वहां पहुंच गई। उसने (उषा कुराल) अभि.सा.-9 के छोटे भाई (भूपिंदर नाथ कुराल) के कमरे के दरवाजे की कुंडी भी खोली, जिसे अपीलार्थीगण ने बाहर से बंद कर दिया था। हालांकि, अपीलार्थी सलाम कविराज स्वयं को छुड़ाने में सफल रहा तथा वह अन्य लोगों की तरह भागने में सफल रहा। इसके बाद अभि.सा.-9 के छोटे भाई ने अपने चाचा महेंद्र नाथ कुराल (अभि.सा.-4) को बुलाया, जो बगल के घर में रहता था। कुछ पड़ोसी भी अभि.सा.-9 के घर पहुंचे। लोगों ने अकरम की पिटाई की और उसे बांध दिया। भूपेंद्र नाथ कुराल (अभि.सा.-5) ने पुलिस को सूचित किया। अभि.सा.-4 ने अभि.सा.-5 के साथ मिलकर सुरेंद्र नाथ कुराल को

एसडीएन अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस के साथ-साथ पीसीआर वैन भी मौके पर पहुंच गई। क्राइम टीम को भी बुलाया गया। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह (अभि.सा.-24), थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन मानसरोवर पार्क द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रीता कुराल के बयान को प्र.अभि.सा.-9/क के रूप में दर्ज किया गया। जांच अधिकारी (आई.ओ.) ने नक्शा मौका प्र.अभि.सा.-24/ख तैयार किया। उन्होंने कुछ वस्तुएं जब्त कीं, जिनमें अभि.सा.-9 के बिस्तर से सोने की एक चेन (दूसरे किशोर द्वारा निकाली गयी थी); अलग-अलग जोड़ी की दो चप्पलें; खून से सने निशान वाली दो पॉलिथीन; कमीज की जेब जैसा एक लाल और काले रंग का कपड़ा, पीछे हैंडपंप के पास बरामदे में बाथरूम के बाहर से एक खंजर आदि शामिल थे।

3. किशोर अकरम ने एक प्रकटीकरण कथन प्र.अभि.सा.-24/ग दिया तथा अन्य अपीलार्थीगण की संलिप्तता के बारे में पुलिस को सूचित किया। किशोर द्वारा निशानदेही करने पर, अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर (अ.-2) एवं आसिफ उर्फ नईम (अ.-3) को उसी शाम गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने क्रमशः प्र.अभि.सा.-20/ख एवं प्र.अभि.सा.-20/क का प्रकटीकरण कथन भी दिया। जांच अधिकारी (अभि.सा.-24) द्वारा अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर एवं आसिफ उर्फ नईम के संबंध में टीआईपी आयोजित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, उन्होंने टीआईपी में शामिल होने से इनकार कर दिया।

अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर पुलिस दल को लोनी, गाजियाबाद रोड पर शाहदरा फ्लाईओवर के पास एक जगह पर ले गया तथा लाल और काले रंग की पट्टियों वाली एक कमीज पेश की, जिसमें सामने की जेब थी और कुछ बटन गायब (जिसकी जेब घटना स्थल से जब्त की गई थी) थे। अपीलार्थी आसिफ उर्फ नईम ने अपने प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में रेलवे ट्रैक के दाईं ओर झाड़ियों के नीचे से एक 'रिलैक्सो' चप्पल भी पेश की। उसी को आई.ओ. द्वारा जब्त कर लिया गया था। अपीलार्थी आसिफ ने एक खंजर प्र.24/छ बरामद किया, जो जमीन में गढ़ा हुआ छिपा था तथा साथ ही एक फटी हुई कमीज भी बरामद करवायी गयी थी।

4. अपीलार्थी सलाम कविराज उर्फ चुहा (अ.-4) को अपीलार्थी अकरम (किशोर) की ओर निशानदेही करते हुए दिनांक 08.08.2004 को गिरफ्तार किया गया था। उसने एक लाल रंग की खून आलुदा कमीज बरामद करवायी, जिसका एक हाथ गायब था, जिसे प्र.अभि.सा.-9/12 के रूप में अंकित किया। हालांकि, सीएफएसएल रिपोर्ट प्र.अभि.सा.-13/घ के अनुसार, इस कमीज पर मानव रक्त पाया गया था, लेकिन रक्त के रक्त समूह का पता नहीं लगाया जा सका। अपीलार्थी सलाम कविराज को टीआईपी के उद्देश्य से विद्वान महानगर दंडाधिकारी (अभि.सा.-28) के समक्ष पेश किया गया। उसने भी टीआईपी में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसने (अ.-4) पुलिस दल को अपीलार्थी मोहम्मद इलियास

(अ.-5) के घर ले गए तथा दिनांक 09.08.2004 को मोहम्मद इलियास ने चोरी की गई वस्तुओं को पेश किया, जिसमें सोने की चेन शामिल थी तथा साथ ही भूरे रंग का वुडलैंड लेडीज पर्स प्र.अभि.सा.-9/ अनुच्छेद 27 सामूहिक रूप से शामिल था को जो घटना स्थल से जब्त किया गया था।

5. दिनांक 30.08.2004 को शाम करीब 6:00 बजे, अपीलार्थी शाहीन उर्फ बुशले (अ.-6) को एक गुप्त सूचना के आधार पर तथा किशोर द्वारा बताए जाने पर गिरफ्तार किया गया। उसने टीआईपी में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। उसके द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के अनुसार, अपीलार्थी शाहीन उर्फ बुशले ने गोपालपुर में एक कुएं के पास दबा हुआ एक खंजर बरामद करवाया। उसने गोपालपुर गांव में *एक कबाड़ी* की दुकान में एक लोहे के बक्से से एक पर्स तथा कुछ अन्य सामान भी बरामद करवाया।

6. जांच पूरी होने पर, अपीलार्थीगण एवं किशोर के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

7. अपीलार्थीगण द्वारा आरोप में दोषी न होने के अभिवचन दिए जाने पर अभियोजन पक्ष ने 31 गवाहों की जांच की। रीता कुराल (अभि.सा.-9) तथा वीरेंद्र नाथ कुराल (अभि.सा.-19) सबसे महत्वपूर्ण साक्षी हैं जिन्होंने घटना के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है एवं अपीलार्थी सलाम कविराज उर्फ

चूहा, आसिफ उर्फ नईम, मिराज उर्फ जाकिर, शाहीन उर्फ बुशले तथा किशोर (अकरम) को अपराध के अपराधियों के रूप में पहचाना है।

8. अभि.सा. 11, 12 एवं 14 ने दो पॉलीथीन बैग से घटना स्थल से निशान लिये जबकि अभि.सा.-17 ने घटना स्थल पर पड़े खंजर से निशान (प्र.अभि.सा.-17/क) लिये। अभियोजन पक्ष के अनुसार खंजर पर घटना स्थल से निशान अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर (प्र.अभि.सा.-17/ग) के नमूने रिपोर्ट प्र.अभि.सा.-17/ख के अनुसार, उगंलियो के निशान से मेल खाते हैं,

9. अपीलार्थीगण को उनके खिलाफ़ पेश किए गए आपत्तिजनक साक्ष्यों को स्पष्ट करने का अवसर देने के लिए, उनसे संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई। उन्होंने अभियोजन पक्ष के आरोपों से इनकार किया तथा झूठे आरोप लगाने का तर्क दिया। उन्होंने बचाव में कोई साक्ष्य पेश करने से इनकार कर दिया। साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) ने पाया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण के खिलाफ़ अपराध के लिए सभी उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में सक्षम था। अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया गया और जैसा कि पहले कहा गया था, सजा सुनाई गई।

10. हमने अपीलार्थी सलाम कविराज एवं मोहम्मद इलियास की ओर से *न्याय मित्र* श्री अजय वर्मा, अपीलार्थी आसिफ उर्फ नईम की ओर से *न्याय मित्र* सुश्री राखी दुबे, अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर, श्री दीपक

वोहरा की ओर से *न्याय मित्र* सुश्री साहिला लांबा, अपीलार्थी शाहीन उर्फ बुशले एवं सुश्री राजदीपा बेहुरा, राज्य की ओर से अति.लो.अभि. को सुना है।

11. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अपीलार्थीगण के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला सभी युक्तियुक्त संदेहों की प्रतिच्छाया से परे स्थापित नहीं हुआ था। यह प्रतिविरोध किया गया है कि उन्हें केवल संदेह के आधार पर दोषी ठहराया गया था। उनसे या उनके कहने पर कोई बरामदगी नहीं की गई थी। दिखाई गई बरामदगी इसलिए की गई क्योंकि कथित बरामदगी के समय कोई सार्वजनिक या स्वतंत्र साक्षी शामिल नहीं हुआ था। अभि.सा.-9 ने घटना के बाद पुलिस को दिए गए अपने बयान में अपराधियों का विस्तृत विवरण नहीं दिया। न्यायालय में अपने बयान में भी, वह अपराधियों द्वारा पहने गए कपड़ों का विवरण देने में विफल रही। इसके अलावा, चूंकि अपीलार्थीगण को पुलिस स्टेशन में साक्षी को दिखाया गया था, अतः उनका आईओ द्वारा आयोजित टीआईपी में भाग लेने से इनकार करना उचित था और इसलिए, घटना के बहुत बाद अपीलार्थीगण की कटघरे में पहचान को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है।

12. यह बहुत ही जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थीगण की निशानदेही पर बरामद की गई वस्तुएं पुलिस द्वारा आरोपित की गई थीं, क्योंकि उनका न तो अभि.सा.-9 द्वारा दिए गए बयान प्र.अभि.सा.-

9/क में और न ही क्राइम टीम के प्रभारी उप.नि. रोहताश कुमार द्वारा तैयार घटना स्थल रिपोर्ट में और न ही स.उप.नि. साजिद हसन (अभि.सा.-14) द्वारा दो पॉलीथिन से मौका निशान उठाते समय तैयार की गई रिपोर्ट प्र.अभि.सा.-14/क में कोई उल्लेख है। यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थीगण के नमूने के उंगलियों के निशान जांच अधिकारी द्वारा नहीं लिये गये थे। बन्दी शनाख्त अधिनियम, 1920 की धारा 4 एवं 5 के प्रावधानों के अनुसार और इसलिए रिपोर्ट प्र.अभि.सा.-17/ख जिसमें दिखाया गया है कि घटना स्थल से जब्त खंजर से लिये गये मौका निशान प्र.अभि.सा.-17/क का अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर प्र.अभि.सा.-17/ग के उंगलियों के निशान के नमूने का मिलान हुआ, साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है। अपने प्रतिविरोध के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने *सपन हलधर व अन्य बनाम राज्य, 191 (2012) डीएलटी 225* में इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय पर भरोसा किया है। यह भी आग्रह किया गया है कि एएसजे ने दं.प्र.सं. की धारा 396 के तहत दंडनीय अपराध हेतु अपीलार्थी मोहम्मद इलियास को दोषी ठहराने में त्रुटि की। मोहम्मद इलियास की पहचान अभि.सा. 9 व 19 द्वारा डकैती में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से एक के रूप में नहीं की गई थी। अपीलार्थी मोहम्मद इलियास के कहने पर चैन का टुकड़ा, लेडीज पर्स व अन्य सामान की बरामदगी भी संदिग्ध है। किसी भी मामले में, यह तर्क दिया जाता है कि भा.दं.सं. की धारा 396 के तहत

दंडनीय अपराध हेतु उसे दोषी ठहराने के लिए कोई भी विषय-वस्तु नहीं थी।

13. इसके विपरीत, राज्य की ओर से अति.लो.अभि. सुश्री राजदीपा बेहुरा ने प्रतिविरोध किया है कि अभि.सा. 9 एवं 19 सदमे की स्थिति में थे, इसलिए वे चोरी की गई सभी वस्तुओं का विवरण नहीं दे सके और इसलिए अपीलार्थीगण से बरामद अन्य वस्तुओं की चोरी के संबंध में न्यायालय में उनके परिसाक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आग्रह किया कि अपीलार्थीगण को साक्षी के सामने तभी दिखाया गया जब उन्होंने टीआईपी में शामिल होने से इनकार कर दिया ताकि यह पुष्टि हो सके कि पुलिस जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। डॉक पहचान एक ठोस सबूत है जिसकी पुष्टि पुलिस स्टेशन में पिछली पहचान के संबंध में अभि.सा.-9 और अभि.सा.-19 के परिसाक्ष्य से होता है। इस प्रकार राज्य के अति.लो.अभि. ने कहा कि अपीलार्थीगण के खिलाफ आरोप पूरी तरह से स्थापित है तथा एएसजे द्वारा पारित निर्णय किसी भी हस्तक्षेप का औचित्य नहीं रखता है।

14. हमने पक्षकारों की ओर से उठाए गए तर्कों पर गहन विचार किया है। डॉक पहचान के अलावा, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थीगण को अपराध के साथ जोड़ने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा किया है।

15. हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों एवं सामग्री पर एक-एक करके विचार करेंगे:

(i) घटनास्थल से तीन चप्पलें, एक सूजी (प्र.अभि.सा.-9/सामग्री 3) एवं एक *रिलैक्सो* (प्र.अभि.सा.-9/सामग्री 1) की बरामदगी एवं अपीलार्थी आसिफ उर्फ नईम की निशानदेही पर एक अन्य चप्पल *रिलैक्सो* (प्र.अभि.सा.-9/सामग्री 2) की बरामदगी;

(ii) अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर के कहने पर लाल एवं काली पट्टियों वाले कपड़े के एक टुकड़ा (प्र.अभि.सा.-9/सामग्री 5) की बरामदगी तथा एक लाल एवं काले रंग की कमीज (प्र.अभि.सा.-9/सामग्री 4) की बरामदगी;

(iii) अपीलार्थी सलाम कविराज की निशानदेही पर एक खून से सनी कमीज बरामद की गई, जिसकी एक बाजू गायब थी।

(iv) अपीलार्थी सलाम कविराज के कहने पर अपीलार्थी मोहम्मद इलियास से 1100/- रुपये और एक सोने की चेन का टुकड़ा (सामूहिक रूप से प्र.अभि.सा.-9/सामग्री 27) युक्त वुडलैंड ब्राउन रंग का लेडीज पर्स बरामद किया गया;

(v) अपीलार्थी शाहीन उर्फ बुशले की निशानदेही पर गोपालपुर में एक *कबाड़ी* की दुकान से एक पर्स (प्र.अभि.सा.-9/सामग्री 29) जिसमें कुछ विजिटिंग कार्ड, एक लोहे के बक्से में हनुमान चालीसा की एक पॉकेट बुक थी, की बरामदगी।

16. अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण को भा.दं.सं. की धारा 396 के तहत दंडनीय अपराध कारित करने से जोड़ने के लिए उपरोक्त परिस्थिति पर

बहुत अधिक निर्भर करता है। अभियोजन पक्ष कुछ अपीलार्थीगण के कहने पर खंजरों की बरामदगी पर भी भरोसा करता है, जिसके लिए अपीलार्थीगण को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। इस तथ्य के अलावा कि कथित बरामदगी के समय कोई भी सार्वजनिक या स्वतंत्र साक्षी शामिल नहीं हुआ था, ऐसे कई अन्य कारण हैं जिनकी वजह से हम अपीलार्थी सलाम कविराज द्वारा किए गए प्रकटीकरण बयान प्र.20/ट के अनुसरण में अपीलार्थी मोहम्मद इलियास से सोने की चेन के टुकड़े की बरामदगी को छोड़कर बरामदगी पर भरोसा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। बेशक, घटना लगभग 2:30 बजे रात्रि को हुई। मृतक सुरेंदर नाथ कुराल को तुरंत बाद लगभग 2:35 बजे अस्पताल ले जाया गया मानसरोवर पार्क पुलिस भी मौके पर पहुंची। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि उप.नि. प्रताप सिंह (प्र.अभि.-27) तथा इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह (प्र.अभि.-24) कांस्टेबल सतपाल के साथ कुछ पुलिस अधिकारियों को मौके पर छोड़कर एसडीएन अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि मृतक को मृत घोषित करार दे दिया गया है। इसके बाद उप.नि. प्रताप सिंह व इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह (प्र.अभि.-24) मौके पर वापस लौटे तथा रीता कुराल के प्र.अभि.सा.-9/क का बयान दर्ज किया। अभि.सा.-24 ने मामले के पंजीकरण के लिए उक्त बयान अभि.सा.-9/क पर अपना स्वयं का समर्थन अभि.सा.-24/क प्रस्तुत किया। अभियोजन

पक्ष का यह भी मामला है कि जांच अधिकारी (अभि.सा.-24) ने क्राइम टीम को बुलाया और क्राइम टीम के अन्य अधिकारियों के साथ उप.नि. रोहताश सिंह मौके पर पहुंचे। घटना स्थल रिपोर्ट (उप.नि. रोहताश सिंह द्वारा तैयार की गई, हालांकि उनसे साक्षी के रूप में पूछताछ नहीं की गई) से यह स्पष्ट है कि घटना स्थल का निरीक्षण क्राइम टीम द्वारा सुबह 3:30 बजे से 7:00 बजे के बीच किया गया था। बयान प्र.अभि.सा.-9/क, समर्थन प्र.अभि.सा.-24/क (लगभग 5:00 बजे किया गया) और घटना स्थल रिपोर्ट (विचारण न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध है, लेकिन प्रदर्शित नहीं की गई) में स्पष्ट रूप से हैंडपंप के पास घर के अंदर किसी खंजर, दो चप्पलों (एक सूजी एवं एक रिलैक्सो) तथा कपड़े के टुकड़ा, जिसे कमीज की जेब बताया जा रहा है, की बरामदगी का कोई उल्लेख नहीं है, जिसे कथित तौर पर अपीलार्थी आसिफ की निशानदेही पर बरामद किया गया था। अभि.सा.-9 रितु कुराल द्वारा दिया गया बयान प्र.अभि.सा.-9/क, समर्थन प्र.अभि.सा.-24/क तथा उप.नि. रोहताश सिंह द्वारा तैयार की गई क्राइम सीन रिपोर्ट में भी सोने की चेन के टुकड़े को छोड़कर किसी अन्य वस्तु को हटाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है जिसे किशोर अकरम द्वारा छीना गया था (जबकि सोने की चेन का दूसरा टुकड़ा अभि.सा.-9 के बिस्तर से बरामद किया गया था)। क्राइम सीन रिपोर्ट में चोरी की गई संपत्ति के कॉलम में केवल 'आभूषण' का उल्लेख किया गया है। अभि.सा.-9

तथा अभि.सा.-19 के पर्स, कलाई घड़ी आदि की चोरी जिसमें उनकी पहचान स्थापित करने के लिए उनके कुछ निजी सामग्रियां शामिल थी, महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं जिनका बयान प्र.अभि.सा.-9/क, समर्थन प्र.अभि.सा.-24/क तथा क्राइम सीन रिपोर्ट में निश्चित रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए था यदि वे वास्तव में चोरी हुए थे। इसी तरह, खंजर की बरामदगी का भी इन सभी दस्तावेजों में उल्लेख किया जाना चाहिए था यदि खंजर वास्तव में हैंडपंप के पास कमरे के सामने खुली जगह में पाया गया था क्योंकि घटना स्थल की जांच क्राइम टीम द्वारा लगभग साढ़े तीन घंटे तक की गई थी जो शाम 7:00 बजे तक घटनास्थल पर रहा जैसा कि घटना स्थल रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इस दृष्टिकोण में हमारा समर्थन इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा *मुरारी बनाम राज्य,* (आप.अ. सं.10/2011) में दिनांक 24.08.2011 को दिए गए निर्णय और इस न्यायालय की एकल न्यायपीठ द्वारा *सुधीर कुमार बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य* (आप.अ. सं.605/2013) में दिनांक 02.09.2013 को दिए गए निर्णय से होता है। हम अपीलार्थीगण के कहने पर/से ऊपर बताई गई वस्तुओं की बरामदगी पर विश्वास करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

17. साथ ही, हम अपीलार्थी सलाम कविराज के कहने पर अपीलार्थी मोहम्मद इलियास से सोने की चेन के टुकड़े (सामूहिक रूप से

प्र.अभि.सा.-9/सामग्री 27) की बरामदगी पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, जो उनके प्रकटीकरण कथन प्र.अभि.सा.-20/ट के अनुसरण में किया गया था। हम मानते हैं कि सोने की चेन के टुकड़े की बरामदगी अभि.सा.-9 द्वारा विधिवत पहचान की गई है और यह घटना के तुरंत बाद दिए गए उनके बयान प्र.अभि.सा.-9/क से भी पुष्ट होती है, जिसके आधार पर वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई थी तथा घटना स्थल पर खाट से उसी चेन के एक और टुकड़े की बरामदगी से भी पुष्ट होती है।

18. इसके अलावा, सीएफएसएल रिपोर्ट प्र.अभि.सा.-13/घ के अनुसार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक का रक्त समूह एबी था, क्योंकि एबी समूह का रक्त उस गौज़ पीस पर पाया गया था, जिसके माध्यम से घटना स्थल से रक्त उठाया गया था। मृतक की दो चादरों, तकिए और लुंगी पर रक्त समूह केवल एबी समूह का पाया गया। हालांकि, कमीज के टुकड़े (प्र. 2ग) पर बी समूह का रक्त तथा दो अन्य कमीज के टुकड़ों (प्र. 9 व 10) पर कुछ खास खून पाया गया। इन कमीजों को आईओ ने विशेष रूप से किसी भी अपीलार्थी के साथ नहीं मिलाया है और चूंकि उन पर एबी समूह का खून नहीं पाया गया है, अतः अपीलार्थीगण के कहने पर कमीज की कथित बरामदगी का शायद ही कोई महत्व है।

19. चूंकि हम घटना स्थल से खंजर की बरामदगी पर विश्वास करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, अतः सीएफएसएल रिपोर्ट प्र.अभि.सा.-17/ख के अनुसार अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर के नमूना उंगलियों के निशान (एस1) के साथ उस पर मौके से एकत्र उंगलियों के निशान (चांस प्रिंट) (क्यू3) का मिलान भी कोई महत्व नहीं रखता है।

20. चश्मदीद साक्षी के परिसाक्ष्यों की बात करें तो, अभि.सा. 9 एवं 19 ने घटना का बहुत ही जीवंत विवरण दिया है। अभि.सा.-9 ने निम्नलिखित परिसाक्ष्य दिया:-

> *"5 और 06.08.2004 की मध्य रात्रि को लगभग 1 बजे हम अपने घर पर थे। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं और मेरे पिता मेरी बीमार माँ की देखभाल उनके कमरे में कर रहे थे। परिवार के बाकी सदस्य अपने-अपने कमरों में सोने चले गए थे। मेरी बीमार माँ के कारण ताज़ी हवा आने के लिए बरामदे के दरवाजे खोले गए थे। रात 2.00 से 2.30 बजे के बीच 18-20 साल की उम्र के पाँच अज्ञात लड़के हमारे घर में घुस आए। उनमें से एक मेरे पास आया। दो मेरी माँ के बिस्तर के पास। उन दोनों के हाथों में 'छुरा' था। एक मेरे पिता के पास खड़ा था और दूसरा गेट के पास ऐसे ही 'छुरा' लिए हुए था। जो लड़का मेरे पास खड़ा था, उसने मेरे मुँह को हाथों से बंद कर दिया और मुझे चीखने-चिल्लाने से मना किया वह मेरी सोने की चूड़ियां और अंगूठी भी उतारने लगा। इस बीच मेरे पिता ने इसका विरोध करते हुए उनसे पूछा कि वे हमसे क्या चाहते हैं। उन लड़कों में से एक ने अपने अन्य साथियों से मेरे पिता को बांधने को कहा। मेरे पिता के पास*

खड़े लड़के ने उस छुरे से उनके पीठ पर 3-4 बार वार कर दिया। मैंने अपने पिता को बचाने के लिए उसे निशस्त्र कर दिया। वह चारपाई पर गिर पड़े। उस लड़के ने फिर जबरदस्ती अपने हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया। इसके बावजूद मैं शोर मचाने में सफल रही। इसके अलावा मैंने अपने भाई के बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर मेरे भाई श्री वीरेंद्र जाग गए और वहां आ गए। मैंने उनके साथ मिलकर उनमें से दो लड़कों को दबोच लिया। उनमें से एक भागने में सफल रहा। जिस लड़के को हमने दबोचा था उसका नाम बाद में पता चला की वह अकरम था। (अभि.सा. ने आरोपी अकरम की ओर सही निशानदेही की)। मेरी भाभी ने मेरे छोटे भाई के घर का दरवाजा खोला, जिन्हें उन अपराधियों ने बाहर से बंद कर दिया था। वापस आने पर मेरे भाई ने मेरे चाचा महेंद्र नाथ कुराल को बुलाया, जो बगल के घर में रहते हैं। वह मेरे भाई वीरेंद्र नाथ कुराल की सहायता से एसडीएन अस्पताल पहुंचे। पुलिस हमारे घर आई। मुझसे पूछताछ की गई और मेरा बयान पुलिस ने दर्ज किया। शोरगुल सुनकर हमारे घर पर लोग जमा हो गए। उन्होंने आरोपी अकरम की पिटाई की। मेरा बयान/शिकायत प्र.अभि.सा.-9/क..... है।"

21. अपने परिसाक्ष्य के बाद के भाग में, अभि.सा.-9 ने अपीलार्थीगण, अर्थात् सलाम कविराज उर्फ चूहा, आसिफ उर्फ नईम, मिराज उर्फ जाकिर, शाहीन उर्फ बुशले एवं किशोर (अकरम) की पहचान की तथा उनमें से प्रत्येक को विशिष्ट भूमिकाएँ सौंपीं गयी। अभि.सा.-19 वीरेंद्र नाथ कुराल ने सभी महत्वपूर्ण विवरणों में अभि.सा.-9 के परिसाक्ष्य की पुष्टि की। उन्होंने उक्त अपीलार्थीगण की पहचान भी की और उनमें से प्रत्येक द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में भी बताया। इन दोनों साक्षी

ने अपने मुख्य परीक्षण में पुलिस स्टेशन में अपीलार्थीगण की पहचान करने की बात भी कही है।

22. उनके परिसाक्ष्य के इस भाग का हवाला देते हुए, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि चूंकि अपीलार्थीगण को पुलिस स्टेशन में साक्षी के सामने पेश किया गया था, अतः उनका टीआईपी में भाग लेने से इनकार करना उचित था। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि 3-4 साल बीत जाने के बाद पहली बार न्यायालय में अपीलार्थीगण की पहचान मूल्यहीन है एवं इस पर उनके दोषसिद्धि के आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब साक्षी ने पुलिस द्वारा दर्ज की गयी संहिता की धारा 161 के तहत अपने बयानों में विस्तृत विवरण नहीं दिया है।

23. जाहिर है, अभि.सा. 9 व 19 को टीआईपी में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया था। वास्तव में, जैसे ही आईओ (अभि.सा.-24) द्वारा आवेदन पेश किया गया, अपीलार्थीगण ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। अभि.सा. 9 व 19 के परिसाक्ष्यों को मामले के आईओ अभि.सा.-24 के परिसाक्ष्य के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

24. निस्सन्देह, अकरम (किशोर) को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था। अभि.सा.-24 ने परिसाक्ष्य दिया कि अकरम का पुलिस हिरासत प्रतिपेषण प्राप्त कर लिया गया था। उससे पूछताछ की गई एवं शाम को

अकरम के कहने पर अपीलार्थी आसिफ उर्फ नईम और मिराज उर्फ जाकिर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि अगली तिथि अर्थात् दिनांक 07.08.2004 को उन्हें न्यायालय में मुंह ढक कर पेश किया गया तथा टीआईपी (शिनाख्त परेड) के लिए आवेदन दिया गया। उसने परिसाक्ष्य दिया कि उन दोनों (आसिफ व मिराज) ने टीआईपी में भाग लेने से इनकार कर दिया। यह नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके बाद ही कथित बरामदगी की गई एवं अपीलार्थीगण को पुनः पुलिस स्टेशन लाया गया। अभि.सा.-24 ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसके बाद अभि.सा.-9 रीता कुराल एवं अभि.सा.-19 वीरेंद्र नाथ कुराल ने शहादरा, लोनी, गाजियाबाद में रेलवे क्रॉसिंग के पास उनसे मुलाकात की। वे भी बरामदगी के बारे में जानने के बाद पुलिस स्टेशन आए एवं पुलिस स्टेशन में अपीलार्थीगण (मिराज उर्फ जाकिर व आसिफ उर्फ नईम) की पहचान की। इस प्रकार, अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर एवं आसिफ उर्फ नईम को साक्षी को तभी दिखाया गया जब उन्होंने टीआईपी में शामिल होने से इनकार कर दिया।

25. इसी तरह, अभि.सा.-24 ने अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी सलाम कविराज उर्फ चूहा को गिरफ्तार करने के बाद उसे अपना चेहरा ढक कर रखने की सलाह दी गई थी। उसे दिनांक 09.08.2004 को न्यायालय में पेश किया गया था। यहां भी अभि.सा.-24 ने परिसाक्ष्य दिया कि

टीआईपी आयोजित करने के आवेदन पर अपीलार्थी सलाम कविराज ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अपीलार्थी सलाम कविराज को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया एवं पुनः उससे कथित बरामदगी की गई और जब वे पुलिस स्टेशन लौट रहे थे, अभि.सा. 9 व 19 ने शाहदरा फ्लाईओवर के पास उनसे मुलाकात की तथा उन्होंने अपीलार्थी सलाम कविराज की पहचान अपराधियों में से एक के रूप में की। अपीलार्थी शाहीन उर्फ बुशले के संबंध में, उसने दिनांक 31.08.2004 को दिए गए आवेदन पर टीआईपी में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके दो दिन बाद अपीलार्थी शाहीन उर्फ बुशले की पहचान अभि.सा. 9 व 19 ने की। इस प्रकार, अपीलार्थीगण का यह तर्क कि उन्होंने टीआईपी में शामिल होने से इनकार कर दिया, जैसा कि उन्हें पहले साक्षी को दिखाया गया था, पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि टीआईपी आयोजित करने के लिए कदम आईओ द्वारा जल्द से जल्द उठाए गए थे। इसके अलावा, अभि.सा.-9 के पास अपीलार्थीगण को देखने व उनका निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां साक्षी को भागते हुए अपराधियों की बस एक झलक मिली हो।

26. *मुंशी सिंह गौतम व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2005) 9 एससीसी 631 में,* यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय में अभियुक्त की

पहचान एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9 के तहत प्रासंगिक है। प्रबुद्ध के नियम के रूप में, न्यायालय सामान्यतः पूर्व परीक्षण पहचान द्वारा डॉक पहचान की पुष्टि के लिए कहते हैं। यह देखा गया कि उचित मामलों में, जहां न्यायालय किसी विशेष साक्षी से प्रभावित होता है, वह बिना किसी पुष्टि के उसके परिसाक्ष्य पर सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है। इसी तरह, *रमनभाई नारनभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य, (2000) 1 एससीसी 358 में,* सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि जहां साक्षी के पास हमलावरों का चेहरा देखने के लिए पर्याप्त समय था, वहां परीक्षण शिनाख्त परेड की अनुपस्थिति अप्रासंगिक थी।

27. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभि.सा. 9 व 19 ने किसी झूठे व्यक्ति को शामिल नहीं किया। हालाँकि अपीलार्थी मोहम्मद इलियास को भी गिरफ़्तार किया गया था और उसके पास से कुछ चोरी की गई संपत्ति भी बरामद की गई थी तथा उसे भा.दं.सं. की धारा 396 के तहत विचारण का सामना करने के लिए न्यायालय में भी भेजा गया था, लेकिन अभि.सा. 9 व 19 ने उसे डकैती में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से एक के रूप में नहीं पहचाना था। इस प्रकार, इस मामले में, अभि.सा. 9 व 19 की परिसाक्ष्य की पुष्टि उनके अपने अभिसाक्ष्यों से हुई है, जो अपीलार्थीगण द्वारा पुलिस के समक्ष पहले की गई पहचान के संबंध में

है, जब उन्होंने आईओ द्वारा आयोजित टीआईपी में भाग लेने से इनकार कर दिया था। अभि.सा. 9 व 19 की परिसाक्ष्य पर भरोसा करते हुए, हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि किशोर अकरम एवं अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर, आसिफ उर्फ नईम, सलाम कविराज उर्फ चूहा और शाहीन उर्फ बुशले ने डकैती की थी और अपीलार्थी सलाम कविराज ने डकैती करते समय सुरेंद्र नाथ कुराल की हत्या की थी। यह सबूत अपने आप में अपीलार्थीगण को भा.दं.सं. की धारा 449 के साथ भा.दं.सं. की धारा 34 एवं भा.दं.सं. की धारा 396 के तहत दंडनीय अपराध हेतु दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, अभि.सा. 9 व 19 के परिसाक्ष्य सलाम कविराज द्वारा किए गए प्रकटीकरण बयान के अनुसरण में अपीलार्थी मोहम्मद इलियास से सोने की चेन (सामूहिक रूप से प्र.अभि.सा.-9/सामग्री 27) के टुकड़े की बरामदगी से पुष्टि करती है। चेन के टुकड़े की पहचान अभि.सा. 9 व 19 द्वारा विधिवत रूप से कर ली गई है तथा घटना के तुरन्त बाद अभि.सा. 9 के बयान पर पंजीकृत *रुक्का* प्र.अभि.सा.-9/क से भी इसकी पुष्टि होती है।

28. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह करने का एक साधारण सा प्रयास किया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में कुछ देरी हुई थी, हालांकि घटना 2:30 बजे से 2:45 बजे के बीच हुई थी, प्राथमिकी 5:10 बजे दर्ज की गई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि घटना

के तुरंत बाद, पुलिस को 2:36 बजे पुलिस स्टेशन में डीडी सं. 42-क द्वारा सूचित किया गया था। डीडी को उप.नि. प्रताप सिंह को प्रेषित किया गया था तथा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को भी सूचना दी गई थी। वे तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना हुए। जब उन्होंने देखा कि घायल को पहले ही अस्पताल ले जाया गया था, टीम के कुछ सदस्यों को छोड़कर, आईओ (इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह) एसडीएन अस्पताल गए, जहां उसने घायलों की एमएलसी प्राप्त की, जिसे मृत घोषित कर दिया गया था। वह घटनास्थल पर वापस लौटे, उसका निरीक्षण किया, अभि.सा.-9 का बयान दर्ज किया, उस पर अपना स्वयं का समर्थन प्र.अभि.सा.-24/क बनाया और फिर सुबह 5:00 बजे पुलिस स्टेशन को भेज दिया। इस प्रकार, सुबह 5:10 बजे प्राथमिकी दर्ज करने में कोई अस्पष्ट देरी नहीं कही जा सकती है। इसके अलावा, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी ऐसे मामले में कोई महत्व नहीं रखती क्योंकि अपराधियों में से एक अर्थात् किशोर को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था एवं उसका नाम प्राथमिकी में दर्ज किया गया था। अतः, प्राथमिकी में किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं थी।

29. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुये, हमारा मानना है कि घटनास्थल से एवं अपीलार्थी आसिफ उर्फ नईम और मिराज उर्फ जाकिर के कहने पर खंजरों प्र.अभि.सा.-24/छ एवं प्र.अभि.सा.-24/ज की बरामदगी

संदिग्ध है। अपीलार्थी मोहम्मद इलियास से लेडीज पर्स और 1100/- की बरामदगी भी थोड़ी संदिग्ध है क्योंकि किसी भी मामले में करेंसी नोटों पर पहचान का कोई निशान नहीं है और 1100/- की बरामदगी किसी भी तरह से अपीलार्थी मोहम्मद इलियास या सलाम कविराज को अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराती है। हम अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने के लिए इसे ध्यान में नहीं रखना चाहते क्योंकि यह हमारे पिछले अवलोकन के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गई छेड़छाड़ का परिणाम हो सकता है। हम खंजर की बरामदगी और लाल और काले धारीदार कपड़े के टुकड़े की बरामदगी पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो कथित तौर पर लाल और काले रंग की धारीदार कमीज से मेल खाता है, जो अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर द्वारा बरामद किया गया था। हम अपीलार्थी आसिफ उर्फ नईम के कहने पर खंजर और एक *रिलैक्सो* चप्पल की बरामदगी और अपीलार्थी शाहीन उर्फ बुशले के कहने पर हनुमान चालीसा और टाइमस्टार कलाई घड़ी वाले एक पर्स और खंजर की बरामदगी को भी ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन सभी वस्तुओं का उल्लेख प्र.अभि.सा.-9/क के बयान या 3 बजे से 7 बजे के बीच तैयार किए गए घटना स्थल रिपोर्ट में नहीं किया गया था और अन्यथा ये बहस योग्य हैं। हम अपीलार्थी सलाम कविराज के कहने पर अपीलार्थी मोहम्मद इलियास से सोने की चेन के टूटे हुए टुकड़े की बरामदगी पर विश्वास करते हैं सोने की चेन के टुकड़े की बरामदगी के

आधार पर इलियास को भा.दं.सं. की धारा 396 के तहत दंडनीय अपराध या भा.दं.सं. की धारा 449 के साथ भा.दं.सं. की धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध हेतु दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उसकी पहचान पांच घुसपैठियों में से एक के रूप में नहीं की गई है।

30. यह देखना बहुत विक्षुब्ध करने वाला है कि हालांकि कोई साक्ष्य नहीं था, शायद यह अभियोजन पक्ष का मामला भी नहीं था कि अपीलार्थी मोहम्मद इलियास उन व्यक्तियों में से एक था, जिन्होंने प्रश्नगत डकैती की थी, फिर भी केवल सोने की चेन का एक टुकड़ा और कुछ अन्य लेख बरामद होने पर, उसे न केवल भा.दं.सं. की धारा 412 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, बल्कि भा.दं.सं. की धारा 396 के तहत भी दोषी ठहराया गया। अभि.सा. 9 व 19 ने स्पष्ट किया था कि पांच व्यक्ति, अर्थात् किशोर और चार अपीलार्थी (सलाम कविराज, आसिफ, मिराज और शाहीन) डकैती करने के लिए जिम्मेदार थे। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला नहीं है कि जांच के दौरान, अपीलार्थी मोहम्मद इलियास को अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर डकैती करते पाया गया या वह घटनास्थल पर रखवाली के लिए बाहर मौजूद था। इस प्रकार, अपीलार्थी मोहम्मद की दोषसिद्धि इलियास द्वारा भा.दं.सं. की धारा 396 या भा.दं.सं. की धारा 449 के

साथ भा.दं.सं. की धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दिया गया तर्क मान्य नहीं है। अतः इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

31. हमने पहले ही ऊपर अभिनिर्धारित किया है कि हम अपीलार्थी सलाम कविराज के कहने पर अपीलार्थी मोहम्मद इलियास से सोने की चेन (सामूहिक रूप से प्र.अभि.सा.-9/सामग्री 27) की बरामदगी पर विश्वास करने के लिए इच्छुक हैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी मोहम्मद इलियास को केवल सोने की चेन के इस टुकड़े की बरामदगी के आधार पर भा.दं.सं. की धारा 412 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। बेशक, अपीलार्थी मोहम्मद इलियास सोने की चेन के टुकड़े के कब्जे के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। उसने केवल बरामदगी से इनकार किया है। केवल चोरी की गई संपत्ति या डकैतों के गिरोह की संपत्ति का कब्जा किसी व्यक्ति को धारा 411/412 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस स्तर पर, निम्न भा.दं.सं. की धारा 411 और 412 को उद्धृत करना उचित होगा:

> ***"411. बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना***
>
> *जो कोई ऐसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति हैं, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी*

भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

412. ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है

जो कोई ऐसी चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है, अथवा ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओ कि टोली का है या रहा है, ऐसी संपत्ति, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक कि हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

32. इस प्रकार, किसी मामले को भा.दं.सं. की धारा 411 के दायरे में लाने के लिए, चोरी की गई संपत्ति को रखने वाले व्यक्ति के पास यह ज्ञान या विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि यह चोरी की गई संपत्ति है। इसी तरह, किसी व्यक्ति को भा.दं.सं. की धारा 412 के तहत दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि संपत्ति डकैती के द्वारा हस्तांतरित की गई थी या किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त की गई थी जिसके बारे में वह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि वह डकैतों की से संबंधित है।

अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है कि अपीलार्थी मोहम्मद इलियास जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि सोने की चेन का टुकड़ा (प्र.अभि.सा.-9/सामग्री 27 सामूहिक रूप से) डकैती के द्वारा प्राप्त किया गया था या वह जानता था कि अपीलार्थी सलाम कविराज डकैतों के गिरोह से संबंधित है। साथ ही, अपीलार्थी मोहम्मद इलियास द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि सोने की चेन का टुकड़ा उसके कब्जे में कैसे आया। इलियास को पता था या उसके पास यह मानने का कारण था कि चेन का टुकड़ा चोरी की संपत्ति है। इस प्रकार, धारा भा.दं.सं. की धारा 412 के बजाय, अपीलार्थी मोहम्मद इलियास को भा.दं.सं. की धारा 411 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

33. अतः, भा.दं.सं. की धारा 449 के साथ भा.दं.सं. की धारा 34 और भा.दं.सं. की धारा 396 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर, आसिफ उर्फ नईम, सलाम कविराज उर्फ चूहा और शाहीन उर्फ बुशले की सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें बाकी अपराधों से बरी किया जाता है। इसी तरह, अपीलार्थी मोहम्मद इलियास को भा.दं.सं. की धारा 411 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तथा बाकी अपराधों से बरी किया जाता है।

34. एएसजे द्वारा अपीलार्थी मिराज उर्फ जाकिर, आसिफ उर्फ नईम, सलाम कविराज उर्फ चूहा और शाहीन उर्फ बुशले को भा.दं.सं. की धारा 449 सहपठित धारा 34 और भा.दं.सं. की धारा 396 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दी गई सजा बरकरार रखी गई है। जबकि, अपीलार्थी मोहम्मद इलियास को भा.दं.सं. की धारा 411 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 5,000/- रुपये का जुर्माना या चूक होने पर तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिसे वह पहले ही काट चुका है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे रिहा कर दिया जाएगा।

35. उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

36. लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

37. आदेश की एक प्रति सूचनार्थ विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये।

(जी.पी. मित्तल)
न्यायाधीश

(संजीव खन्ना)
न्यायाधीश

19 फरवरी 2014
वीके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*